



बिहार पशु चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना

(बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय कैम्पस, पटना - 800014)



बिहार सरकार

Tel: 0612-2223074, Email: biharveterinarycouncil@gmail.com, Website: www.bihvetycouncil.com

पत्रांक 448 / बि०प०चि०प०

दिनांक 08-06-2026

प्रेषक,

डा० अरविन्द कुमार,

रजिस्ट्रार,

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक,

पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।

पटना-14, दिनांक जून, 2026

विषयः-संलग्न विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंगः-बिहार पशु चिकित्सा परिषद् कार्यालय पत्रांक - 209, दिनांक 07.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि यह प्रेस विज्ञप्ति भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के अधिनियम 1984 के आलोक में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की आवश्यकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० अरविन्द कुमार)

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक/ बि०प०चि०प०

पटना - 14, दिनांक जून, 2026

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक/ बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक जून, 2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन, बिहार/ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव की सेवा में सादर सूचनार्थ ।

ह0/-

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना ।

ज्ञापांक/ बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक जून, 2026

प्रतिलिपि:- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी / सभी विशेष उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बिहार पशुचिकित्सा परिषद से संबंधित पंजीकरण नवीकरण प्रमाण-पत्र की उपलब्धता और वैधता जाँच लें । यदि नवीकरण नहीं कराया गया है तो संबंधित पशुचिकित्सक के अविलम्ब नवीकरण कराने का पत्र देते हुए परिषद कार्यालय को भी इसकी सूचना दें । ज्ञातव्य हो कि बिना वैध रजिस्ट्रीकरण के उनके पद पर बने रहने की वैधानिक मन्यता नहीं है । साथ ही साथ जनहित में जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रसंगाधीन पत्र संख्या -652, दिनांक 15.11.2021 में उल्लेखित विहित प्रपत्र में सूचना अविलम्ब उपलब्ध करायें । कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

ह0/-

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना ।

ज्ञापांक 448...../ बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 08..... जून, 2026

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना ।

08.06.2026



बिहार पशु चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना

(बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय कैम्पस, पटना - 800014)



Tel: 0612-2223074, Email: biharveterinarycouncil@gmail.com, Website: www.bihvetycouncil.com

पत्रांक...../बि0प0चि0प0

दिनांक

जनहित सूचना

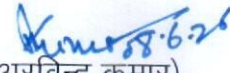
बिहार राज्य के सभी पशु चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी)

बिहार पशु चिकित्सा परिषद् के संज्ञान में आया है कि कई व्यक्ति बिना वैद्य डिग्री और बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण के बिना पशु चिकित्सा प्रतिष्ठान में ईलाज कर रहे हैं। यह सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पशु चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अनुसार बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बिहार राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्रतिष्ठानों (अस्पताल, पॉलिक्लिनिक आदि) को निर्देशित किया जाता है कि आपके यहाँ कार्यरत सभी पशु चिकित्सकों की बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाय।

यह भी सूचित किया जाता है कि बिहार पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण के बिना किसी प्रकार का टाइटल का प्रयोग वर्जित है एवं भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 के तहत दंडनीय है।

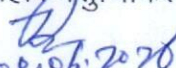
पशु चिकित्सकों के वैद्य रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन के लिए कृपया बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की वेबसाइट www.bihvetycouncil.com देखें या परिषद् कार्यालय में संपर्क करें।

जनहित में जारी।


(डा० अरविन्द कुमार)

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना


08.06.2020



बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना - 800014

(पो0- बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना)

Telefax: 0612-2223074
WWW.bihvetycouncil.com

पत्रांक 209/बि0प0चि0प0

Email: biharveterinarycouncil@gmail.com

प्रेषक,

डा0 सुनील कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार,
बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।

पटना-14, दिनांक 07 मार्च, 2022

विषय:-संलग्न विज्ञप्ति को प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंग:-बिहार पशु चिकित्सा परिषद् कार्यालय पत्रांक - 632, दिनांक 28.10.2021, 652,
दिनांक 15.11.2021 तथा पी0पी0ए0बी0 /08/2022, दिनांक 24.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि यह प्रेस विज्ञप्ति भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नयी दिल्ली के अधिनियम 1984 के आलोक में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की आवश्यकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डा0 सुनील कुमार वर्मा)

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक 209/बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 07 मार्च, 2022

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन, बिहार/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के
आप्त सचिव की सेवा में सादर सूचनार्थ।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक 209/बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 07 मार्च, 2022

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय
वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार

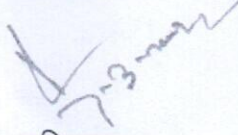
बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक/ बि०प०चि०प०

पटना - 14, दिनांक मार्च, 2022

प्रतिलिपि:- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी / सभी विशेष उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बिहार पशुचिकित्सा परिषद् से संबंधित पंजीकरण नवीकरण प्रमाण-पत्र की उपलब्धता और वैधता जाँच लें। यदि नवीकरण नहीं कराया गया है तो संबंधित पशुचिकित्सक को अविलम्ब नवीकरण कराने का पत्र देते हुए परिषद् कार्यालय को भी इसकी सूचना दें। ज्ञातव्य हो कि बिना वैध रजिस्ट्रीकरण के उनके पद पर बने रहने की वैधानिक मन्यता नहीं है। साथ ही साथ जनहित में जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित विहित प्रपत्र में सूचना अविलम्ब उपलब्ध करायें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।


रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।



Bihar Veterinary Council, Patna – 800 014

(P.O. – B. V. College)

Telefax: 0612-2223074

WWW.bihvetycouncil.com

Letter no. 209/BVC

Email: biharveterinarycouncil@gmail.com

जनहित सूचना

बिहार राज्य के सभी पशुचिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान

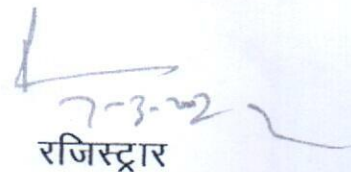
(सरकारी एवं निजी)

बिहार पशुचिकित्सा परिषद् के संज्ञान में आया है कि कई व्यक्ति बिना वैद्य डिग्री और बिहार पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण के बिना पशुचिकित्सा प्रतिष्ठान में ईलाज कर रहे हैं। यह सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पशु चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अनुसार बिहार पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बिहार राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्रतिष्ठानों (अस्पताल, पॉलिक्लिनिक आदि) को निर्देशित किया जाता है कि इन पशु चिकित्सकों की वैद्यता सुनिश्चित किया जाय।

यह भी सूचित किया जाता है कि बिना बिहार पशुचिकित्सा परिषद् के पंजीकरण के किसी प्रकार का टाइटल का प्रयोग वर्जित है एवं भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 के तहत दंडनीय है।

पशुचिकित्सकों के वैद्य रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन के लिए कृपया बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की वेबसाइट www.bihvetycouncil.com देखे या परिषद् कार्यालय में संपर्क करें।

जनहित में जारी।


रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना



बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना - 800014

(पो0- बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना)

Telefax: 0612-2223074

पत्रांक 652/बि0प0चि0प0

Email: biharveterinarycouncil@gmail.com

प्रेषक,

डा0 सुनील कुमार वर्मा,
रजिस्ट्रार,
बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

स्मार

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार
सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी,
सभी विशेष उपनिदेशक, बिहार,
सभी सहायक निदेशक, बिहार।

पटना-14, दिनांक 15 नवम्बर, 2021

विषय:-विहित प्रपत्र में जिला में कार्य कर रहे **Unauthorised Veterinary Practitioners** की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार पशुचिकित्सा परिषद् के कार्यालय पत्रांक - 632, दिनांक 28.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक 24.10.2020 को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की 36वीं बैठक की कार्यवाही में निर्णय लिया गया है कि राज्य में कार्य कर रहे **Unauthorised Veterinary Practitioners** की सूची सभी जिलों से प्राप्त की जाय; ताकि उनके **Illegal Practice** पर प्रतिबंध सहित अन्य कार्रवाई की जा सके।

अतः आप से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में सूची अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विहित प्रपत्र

..... जिला में **Illegal Practice** कर रहे **Unauthorised Veterinary Practitioners** की सूची :-

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम एवं पता	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षण (यदि हो)	मोबाइल सं.0	अभ्युक्ति

अनुलग्नक :-36वीं बैठक की
कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

(डा0 सुनील कुमार वर्मा)

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक 652 / बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 15 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना।

ज्ञापांक 652 / बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 15 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- सहायक सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना।

ज्ञापांक 652 / बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 15 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना।

ज्ञापांक 652 / बि0प0चि0प0

पटना - 14, दिनांक 15 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं क्रियान्वयन के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार

बिहार पशुचिकित्सा परिषद, पटना।